झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, रॉंची (झारखण्ड)

पत्र सं0– 2.वि0प्रा0/योजना –35/15 /रॉंची, दिनांक–

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
बी0आई0टी0 सिन्दरी।

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावॉं/आदित्यपुर/धनबाद/भागा/कोडरमा/जगन्नाथपुर साहेबगंज/सिमडेगा/निरसा,
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर/बोकारो/दुमका, झारखण्ड।

विषयः– **उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कुल 14,44,500/– (रू0 चौदह लाख चौवालीस हजार पांच सौ) मात्र का आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित विभाग के पत्रांक–245 दिनांक–30.03.2022 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 17/योजना दिनांक 16.12.2022 के आलोक में वर्तमान वितीय वर्ष 2022–23 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में सेमिनार/समारोह/कार्यशाला आदि के निमित विज्ञान सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु विभिन्न संस्थानों को निम्न तालिका के अनुसार कुल 14,44,500/– (रू0 चौदह लाख चौवालीस हजार पांच सौ) मात्र की आावंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0	पोलिटेकनिक का नाम	विपत्र कोड	राशि
		सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 43S220300003A7010321	
1	बी0आई0टी0 सिन्दरी	80,000.00	80,000.00
2	राजकीय पोलिटेकनिक, खरसॉवा	80,000.00	80,000.00
3	राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर	30,000.00	30,000.00
4	राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद	50,000.00	50,000.00
5	राजकीय पोलिटेकनिक, भागा	1,05,000.00	1,05,000.00
6	राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा	5,00,000.00	5,00,000.00
7	राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर	75,000.00	75,000.00
8	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर	86,000.00	86,000.00
9	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो	30,500.00	30,500.00
10	राजकीय पोलिटेकनिक, साहेबगंज	52,000.00	52,000.00
11	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, दुमका	2,10,000.00	2,10,000.00
12	राजकीय पोलिटेकनिक, सिमडेगा	46,000.00	46,000.00
13	राजकीय पोलिटेकनिक, निरसा	1,00,000.00	1,00,000.00
	कुल	**14,44,500.00**	**14,44,500.00**

2. उक्त व्यय का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-A7-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय के सेमिनार/समारोह/कार्यशाला ईकाई में उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा।
3. उपर्युक्त राशि का आवंटन विभिन्न राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक में आयोजित विज्ञान सप्ताह के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य एवं निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी होगें।
5. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद/कोडरमा/साहेबगंज/चाईबासा/जमशेदपुर/सरायकेला/बोकारो/दुमका/सिमडेगा से की जायेगी।
6. बी0आई0टी0 सिन्दरी को आवंटित की जा रही राशि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में आयोजित विज्ञान सप्ताह के लिए व्यय की जायेगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
8. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा स्कीम कोड़ 1288 है।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित विभाग के आदेश ज्ञापांक-245/वि0 दिनांक-30.03.2022 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
10. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
11. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
12. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 2. वि0प्रा0/योजना -35/15 - 17/बजट /राँची, दिनांक- 21/02/2023

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद/कोडरमा/साहेबगंज/चाईबासा/जमशेदपुर/सरायकेला/बोकारो/दुमका/सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/23
(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव